



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 378 /2023

सदाराम पिता स्वर्गीय श्री बिहारी राम, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम लालूटोला तहसील छुरिया, पोस्ट चिचोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दावाकर्ता

---अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती मंजीत कौर पति गुरविंदर सिंह भाटिया, निवासी कैलाश नगर राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)(वाहन स्वामी)
2. शाखा प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) पता बस स्टैंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)(बीमा कंपनी)

---उत्तरवादी

अपीलकर्ता हेतु: श्री जी.एस. राजपूत, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु: श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री स्वाति अग्रवाल, अधिवक्ता।

एकल पीठ - माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

पीठ पर निर्णय

04.08.2025

1. अपीलकर्ता/दावेदार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 163-ए के तहत द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ (संक्षेप में "दावा न्यायाधिकरण") के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उत्तरवादीगण के विरुद्ध ₹90,40,000/- की राशि के क्षतिपूर्ति के साथ 18% ब्याज का दावा किया गया था, जिसमें मृतक की मासिक आय ₹12,000/- प्रति माह होने का आरोप लगाया गया था।



2. दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावाकर्ता ने कहा है कि मृतक चिंतानंद, जो इस मामले में अपीलकर्ता का पुत्र था, पंजीकरण संख्या सीजी 08/एल 1757 वाले दुर्घटनाग्रस्त वाहन/ट्रक को चला रहा था और ब्रेक की यांत्रिक विफलता के कारण दुर्घटना हुई, जिसमें बीमा कंपनी/उत्तरवादी संख्या 2 ने तर्क दिया है कि मृतक दुर्घटनाग्रस्त वाहन/ट्रक चलाते समय नशे की हालत में था और इसलिए यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन था और इस तरह, दावेदार क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है। दावा न्यायाधिकरण के समक्ष, उत्तरवादीगण द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था, तथापि, दावा न्यायाधिकरण ने दावाकर्ता के दावे के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतक की वार्षिक आय 2,40,000/- थी जो कि 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए के तहत प्रदान की गई आय अर्थात् 40,000/- से अधिक है, जिसके खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलकर्ता/दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.एस. राजपूत ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची में मृत्यु के मामलों में जारी की गई 22 मई, 2018 की अधिसूचना के तहत, मृतक का परिवार 5,00,000/- के कुल क्षतिपूर्ति का हकदार होगा और अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में वह न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उर्मिला हलदर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 22 मई, 2018 की अधिसूचना उक्त अधिसूचना जारी होने से पहले हुई दुर्घटना पर भी लागू होगी और वर्तमान मामले में दुर्घटना 25.01.2018 को हुई थी।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि मृतक की आय ₹2,40,000/- थी जो कि अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत प्रदान की गई आय, अर्थात् ₹40,000/- से अधिक है, इसलिए, दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के दावे के आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है और तत्काल अपील भी खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

6. दीपाल गिरीशभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए के तहत



मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 40,000/- प्रति वर्ष है और निम्नानुसार देखा गया है:-

"67. इसलिए, हमारा मानना है कि कोडाला 2001 एसीजे 827 (एससी) में सही ढंग से निर्णय दिया गया है। हालाँकि, हम कोडाला (सुप्रा) के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं कि यदि कोई व्यक्ति धारा 163-ए के प्रावधानों का आह्वान करता है, तो 40,000/- रुपये की वार्षिक आय को अधिकतम सीमा माना जाएगा। हमारी राय में, धारा 163-ए के तहत कार्यवाही एक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान होने के नाते, एक विशिष्ट योजना प्रदान करती है, केवल वे लोग जिनकी वार्षिक आय 40,000/- रुपये तक है, इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्य सभी दावों का निर्धारण अधिनियम के अध्याय XII के अनुसार किया जाना आवश्यक है।"

7. इस न्यायालय ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुमित्रा बाई एवं अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल तर्क के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक की वार्षिक आय 40,000/- रुपये से अधिक थी और अनुच्छेद 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

"8. दावा न्यायाधिकरण ने उचित जांच के बाद स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक की वार्षिक आय 15,000/- प्रति वर्ष थी और उक्त निष्कर्ष को बीमा कंपनी द्वारा इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए, केवल आवेदन में की गई दलील के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक की वार्षिक आय 40,000/- प्रति वर्ष से अधिक थी। इसलिए, दावा न्यायाधिकरण ने एम.वी. अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दावेदारों द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया और मृतक की वार्षिक आय 15,000/- प्रति वर्ष निर्धारित करते हुए उसे सही रूप से स्वीकार किया है और आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है।"

8. वर्तमान मामले में भी दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत दावा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मृतक की आय 20,000/- प्रति माह और ₹2,40,000/- प्रति वर्ष बताई गई थी, और उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया गया था, और दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय का आकलन करने के लिए आगे नहीं बढ़ा और अधिनियम 1988 की धारा 163-ए से जुड़ी अनुसूची के प्रकाश में मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसे 22 मई, 2018 को संशोधित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मृत्यु के मामले में, अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत देय क्षतिपूर्ति ₹5,00,000/- होगा।



9. इस स्तर पर, 1988 के अधिनियम की धारा 163 ए पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार है:-

"163-ए. संरचित सूत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान :--

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी साधन में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसी भी स्थिति हो, क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत मुआवजे के किसी भी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।"

10. 22 मई 2018 की अधिसूचना में निम्नानुसार प्रावधान है:-

तृतीय पक्ष की घातक दुर्घटना/चोट के मामलों के दावों के लिए मुआवजे की अनुसूची

1. (क) घातक दुर्घटनाएँ:-

मृत्यु की स्थिति में देय मुआवजा पाँच लाख रुपये होगा।

XXX

XXX

XXX

11. अब, विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या दिनांक 22 मई, 2018 की अधिसूचना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी, क्योंकि वर्तमान मामले में दुर्घटना 25.01.2018 को हुई थी, जबकि, मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति निर्धारित करने वाले अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन के संबंध में अधिसूचना 22 मई, 2025 को प्रभावी हो गई है, जिसके द्वारा मृत्यु के मामले में अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत क्षतिपूर्ति ₹5,00,000/- देय होगा।



12. उर्मिला हलदर (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका संख्या 4 में निर्धारण हेतु उपरोक्त प्रश्न तैयार किया है और कंडिका संख्या 10 में उत्तर दिया है। कंडिका संख्या 4 और 10 में निम्नानुसार कहा गया है:-

4. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए में संशोधन, जो 22 मई, 2018 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रभावी हुआ, उक्त तिथि से पहले हुई दुर्घटना से संबंधित होगा।

10. उच्च न्यायालय के आदेश पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और हम उसके दृष्टिकोण से सहमत हैं। हालाँकि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि किसी लाभकारी कानून में, किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में, दावेदार को लाभ अवश्य ही दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के दायित्व में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। केवल गणना पद्धति और तौर-तरीके को और स्पष्ट किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने सही ही नोट किया है और तदनुसार, दावे को बढ़ाकर 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये) कर दिया गया है। चूँकि इस न्यायालय ने मुआवज़े की 50% राशि पर रोक लगा दी है, इसलिए इसे आठ सप्ताह के भीतर विवादित निर्णय के अनुसार प्रतिवादी को भुगतान किया जाए।

13. उपर्युक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि 22 मई, 2018 की अधिसूचना 22 मई, 2018 से पहले हुई किसी भी दुर्घटना पर भी लागू होगी। इस प्रकार, उपर्युक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त सिद्धांत के प्रकाश में, 22 मई, 2018 की अधिसूचना वर्तमान मामले में भी लागू होगी क्योंकि वर्तमान मामले में दुर्घटना उक्त अधिसूचना आने से पहले अर्थात् 25.01.2018 को हुई थी। मामले के तहत, आक्षेपित निर्णय को यहां दावाकर्ता/अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने की सीमा तक रद्द किया जाता है और 22 मई, 2018 की अधिसूचना के तहत, मृतक चिंतानंद के आश्रित दावाकर्ता/अपीलकर्ता को आवेदन दाखिल करने की तिथि यानी 07.01.2021 से 6% ब्याज के साथ ₹5,00,000/- का क्षतिपूर्ति दिया जाता है। बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 45 दिनों के भीतर संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त राशि जमा करे और यह राशि दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावाकर्ता को वितरित की जाएगी।

14. अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है। इस निर्णय की एक प्रति संबंधित दावा न्यायाधिकरण को सूचना और आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, के लिए तत्काल भेजी जाए।



सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

